



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-231

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272782 दिनांक 19/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vikash Meena S/o Badri Narayan Meena	लाडा देवी मीना पत्नी बट्टी नारायण मीना	20	429.33 SQ. YARD	Cooperative	GOVIND VIHAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोविन्द विहार के भूखण्ड संख्या 20 क्षेत्रफल 429.33 व.ग. की लीजडीड दिनांक 13.05.2002 को लाडा देवी मीना पत्नी बट्टी नारायण मीना के नाम से जारी की गयी है। दिनांक 28.07.2013 को निधन हो गया है जिसके पश्चात् उनके वारिसान निम्नानुसार हैं:- 1. बट्टी नारायण मीना, पति 2. राजू मीना, पुत्री, 3. कविता मीना, पुत्री, 4. सौरभ बडगोती, पुत्र 5. विकास मीना, उपविभाजन हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के दो वारिसों का



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बराबर-बराबर हिस्सा है। अतः दोनों आवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जाना उचित होगा। पुत्र तत्पश्चात् रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 16.12.2025 को 1. बद्री नारायण मीना, पति 2. राजू मीना, पुत्री, 3. कविता मीना, पुत्री द्वारा अपना हिस्सा सौरभ बडगोती एवं विकास मीना के पक्ष में कर दिया गया। आवेदक श्री विकास मीना द्वारा

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vikash Meena S/o Badri Narayan Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |